

“राजपत्र पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. सं. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



संजीवन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 अगस्त 2010— श्रावण 26, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, डाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/18/2009.—छ. ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5-क (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बैकुण्ठपुर जिला कोरिया की सीमा से पृथक करता है.

अनुसूची-1

नगर पालिका, बैकुण्ठपुर की सीमा से पृथक किए गये ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	ग्राम पंचायत का नाम (3)	जनसंख्या (2001) (4)
1.	भांडी	भांडी	1054
2.	मझगवां	नरकेली	845
3.	मण्डलपारा	नरकेली	690
4.	चेरवापारा (अंशभाग)	चेरवापारा	52

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 1-3/18/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना प्रमाणित
एफ-1-3/18/2009 दिनांक 16-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पाहारे, उप-सचिव

Raipur, the 16th-August 2010

NOTIFICATION

No. F-1-3/18/2009.—In exercise of the powers conferred by section 05-a (1) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby exclude the following gram/gram Panchayat from the boundary of Municipal Council Baikunthpur as given in the following schedule :—

SCHEDULE-1

The particulars of the gram/gram Panchayat which are excluded in the boundaries of Municipal Council Baikunthpur is as under :—

S.No. (1)	Name of Gram (2)	Name of Gram Panchayat (3)	Population (2001) (4)
1.	Bhandee	Bhandee	1054
2.	Majhagawa	Narkeli	845
3.	Mandalpara	Narkeli	690
4.	Part of Cherwapara	Cherwapara	52

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEMANT PAHARE, Deputy Secretary.